उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 28 आषाढ़, शक संवत्, 1926
(दिनांक : 19 जुलाई, 2004)

समय : 3 : 00 बजे अपराह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी **"क"**)।

2. श्री अध्यक्ष, श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनायेगें।

3. मुख्यमंत्री, संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2001-2002, (उत्तरांचल सरकार) का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

4. कृषि मंत्री, उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का पहला अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का दूसरा अधिनियम बन गया।

....2/....

(3) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का चौथा अधिनियम बन गया।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

8. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

9. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

10. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

11. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करेंगे।

12. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**ख**")

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 19 जुलाई, 2004

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

(क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी "ख"

<u>कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जुलाई, 2004 की बैठक में दिनांक 19 जुलाई, 2004 से दिनांक 22 जुलाई, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-</u>

<u>जुलाई, 2004</u>

19 सोमवार	(1) श्री राज्यपाल का अभिभाषण (प्रातः 11 बजे)
	(2) अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण का पाठ। (अपराह्न 3:00 बजे)
20 मंगलवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, प्रस्तुतीकरण तथा चर्चा।
	(2) वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (5:00 बजे)
21 बुधवार	(1) धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।
22 गुरूवार	(1) धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।